Jaipur Development Authority

Ram Kishor Vyas Bhawan, Indra Circle, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302004 Rajasthan

PAYING SLIP FOR EFT (NEFT/RTGS)

Beneficiary Name :	Secretary JDA
Beneficiary Account Number :	JVAZ642106800212
Beneficiary IFSC Code :	ICIC0000103
Amount :	₹ 160551.00
Valid Upto :	08/04/2021 11:59 PM

Note:

1. Please execute EFT from your bank upto validity date mentioned in the paying slip above, post which amount may be refunded and required services may not be rendered.
2. Do not round off the transfer amount even for the second decimal.
3. The sender will not initiate multiple NEFT/RTGS by breaking the amount in more than one part. Such EFTs will be treated as invalid transactions and required service will not be delivered.
4. NEFT/RTGS should be initiated from the sender's bank account as any refund/reversal will be credited in the same bank account.
5. It is sender's responsibility to ensure that the bank account is enabled for incoming NEFT/RTGS.
6. The transaction will be considered valid only when it is **Credited/Deposited** in the JDA account after which confirmation receipt will be generated. Normally it takes 3-4 hours to complete the transaction from bank account to JDA account as the transaction is routed through RBI Inter Bank transactions.
7. If there is any mismatch in the Bank Account Number **OR** Mismatch in Amount **OR** validity period (if any) of the challan generated by JDA of the amount will automatically **Credited / Deposited** to your Bank Account.
8. JDA will not be responsible in case the amount is not credited in JDA account due to error made by applicant in making online payment.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन–8 / 2021 / डी– 420

दिनांक 9/3/21

मैसर्स प्रधान रियल एस्टेट प्रा.लि.
जरिये निदेशक श्री यशवीर शूरा पुत्र श्री सुमेर सिंह शूरा
निवासी–26–27, जय नगर, इस्कॉन रोड, मानसरोवर
जयपुर।

विषय : राजस्व ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 398 / 5, 398 / 6 में स्थित आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 2120.00 वर्ग मीटर के चतुर्थ तल का भवन मानचित्र (विस्तार) अनुमोदन किये जाने के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 398 / 5, 398 / 6 में स्थित आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 2120.00 वर्ग मीटर के चतुर्थ तल का भवन मानचित्र (विस्तार) अनुमोदन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड के पेटे निम्न राशि जमा करावे :–

क्र. सं.	मद	राशि
1.	प्रार्थना पत्र शुल्क	100
2.	जांच फीस	10600
3.	मानचित्र अनुमोदन	80971
4.	बीएसयूपी शैल्टर फण्ड	10796
5.	ईडब्ल्यूएस / एलआईजी	58084
	कुल राशि	160551

आप उक्त राशि जमा कराकर जमा कराकर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त आप बेटरमेंट लेवी की राशि 2159220 /– के किश्तों के चैक एवं लेबर सेस की राशि 498800 /– की राशि ईग्रास चालान से जमा कराकर चालान की प्रति भी प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. 05

FRONT SIDE ELEVATION

BACK SIDE ELEVATION

जोन स्तरिय समिति की बैठक दिनांक-3-3-21 में रखा जाकर भवन मानचित्र अनुमोदन किया गया।

LEFT SIDE ELEVATION

RIGHT SIDE ELEVATION

PROJECT TITLE	
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR M/S. PRADHAN REAL STATE PVT. LTD. AT KH. NO. [illegible] VILL.- MOHANPURA, TEH.- SANGANER, JAIPUR	
DRG TITLE	
ELEVATIONS	
SCALE	NORTH
1:100	N
ARCHITECT	APPLICANT
ARCHITECT SURYA PRAKASH CA/2006/37839	Yashveer Shodra DIRECTOR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. 03

जोन स्तरिय समिति की बैठक दिनांक- 3/3/21 में रखा जाकर भवन मानचित्र अनुमोदन किया गया।

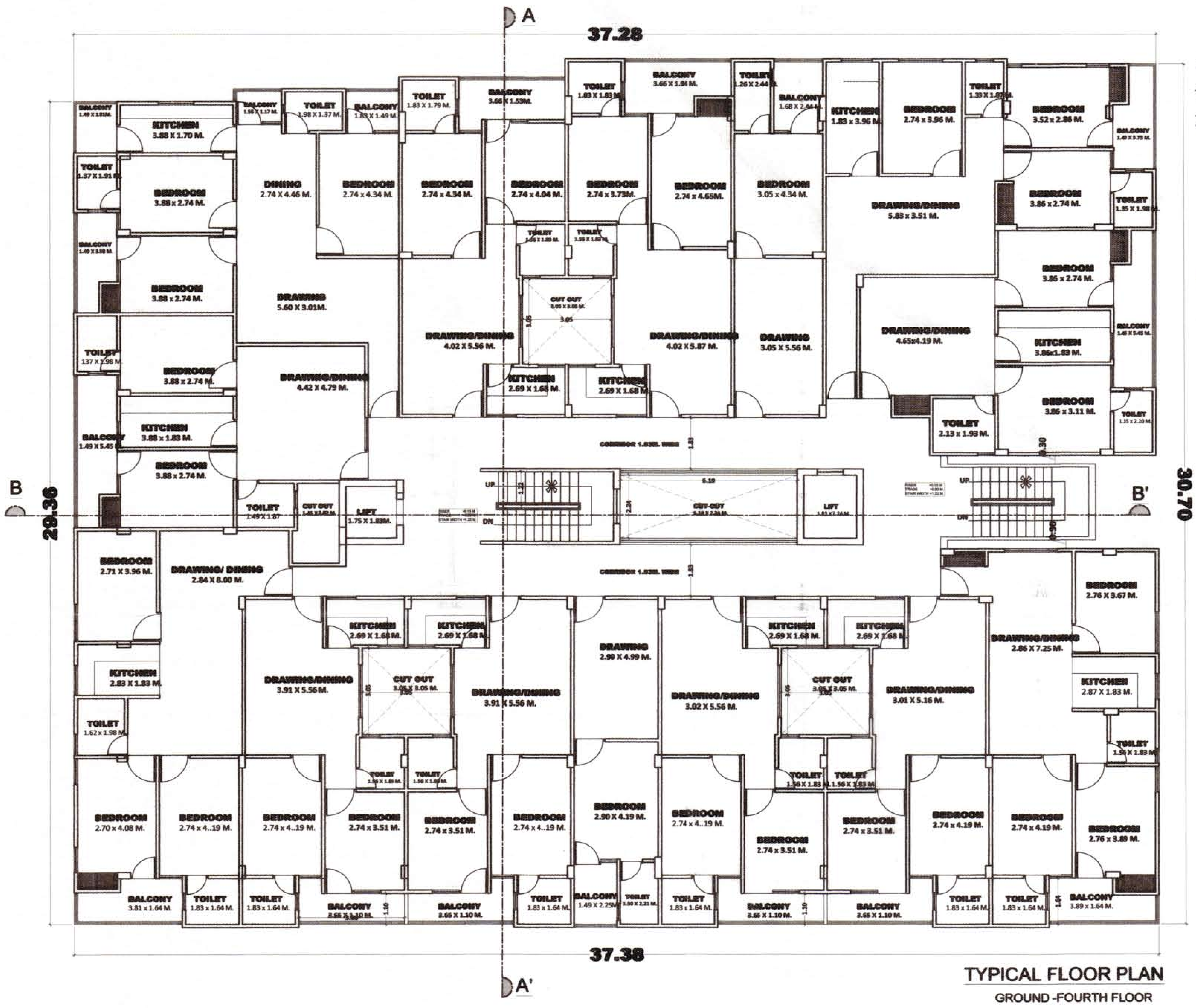

TYPICAL FLOOR PLAN

GROUND -FOURTH FLOOR

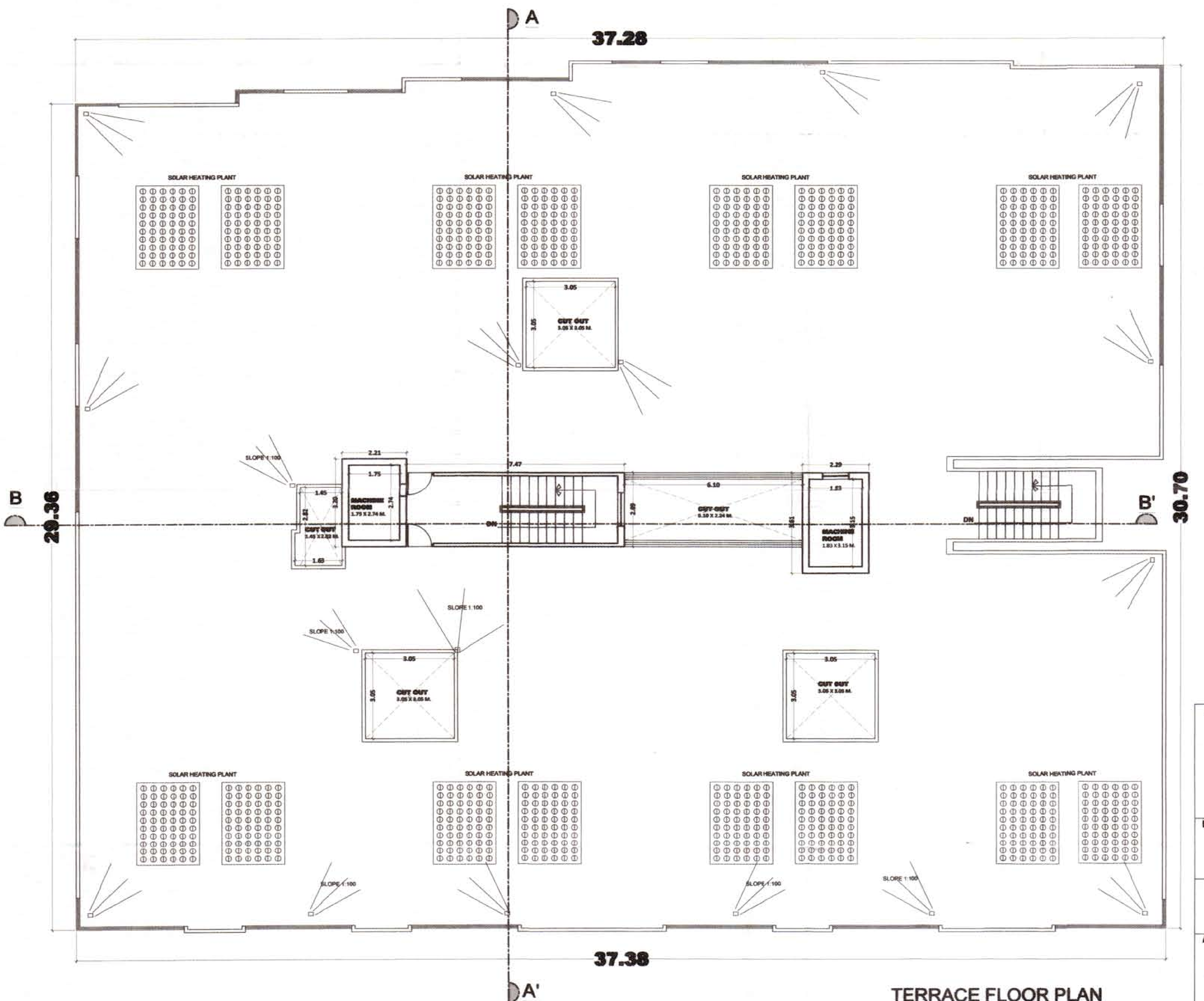

TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR M/S. PRADHAN REAL STATE PVT. LTD. AT KH. NO. $\frac{398}{5}$, $\frac{398}{6}$ VILL.- MOHANPURA , TEH.- SANGANER , JAIPUR

DRG TITLE

FLOOR PLANS

(GROUND,1st,2nd,3rd,4th,5th & TERRACE FLOOR)

SCALE	NORTH
1:100	N
ARCHITECT	APPLICANT
ARCHITECT SURYA PRAKASH CA/2006/37839	For PRADHAN REAL ESTATE PVT. LTD. YASHVEER SHEORA DIRECTOR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. 02

जोन स्तरिय समिति की बैठक दिनांक - ३।३।२१ में रखा जाकर भवन मानचित्र अनुमोदन किया गया।

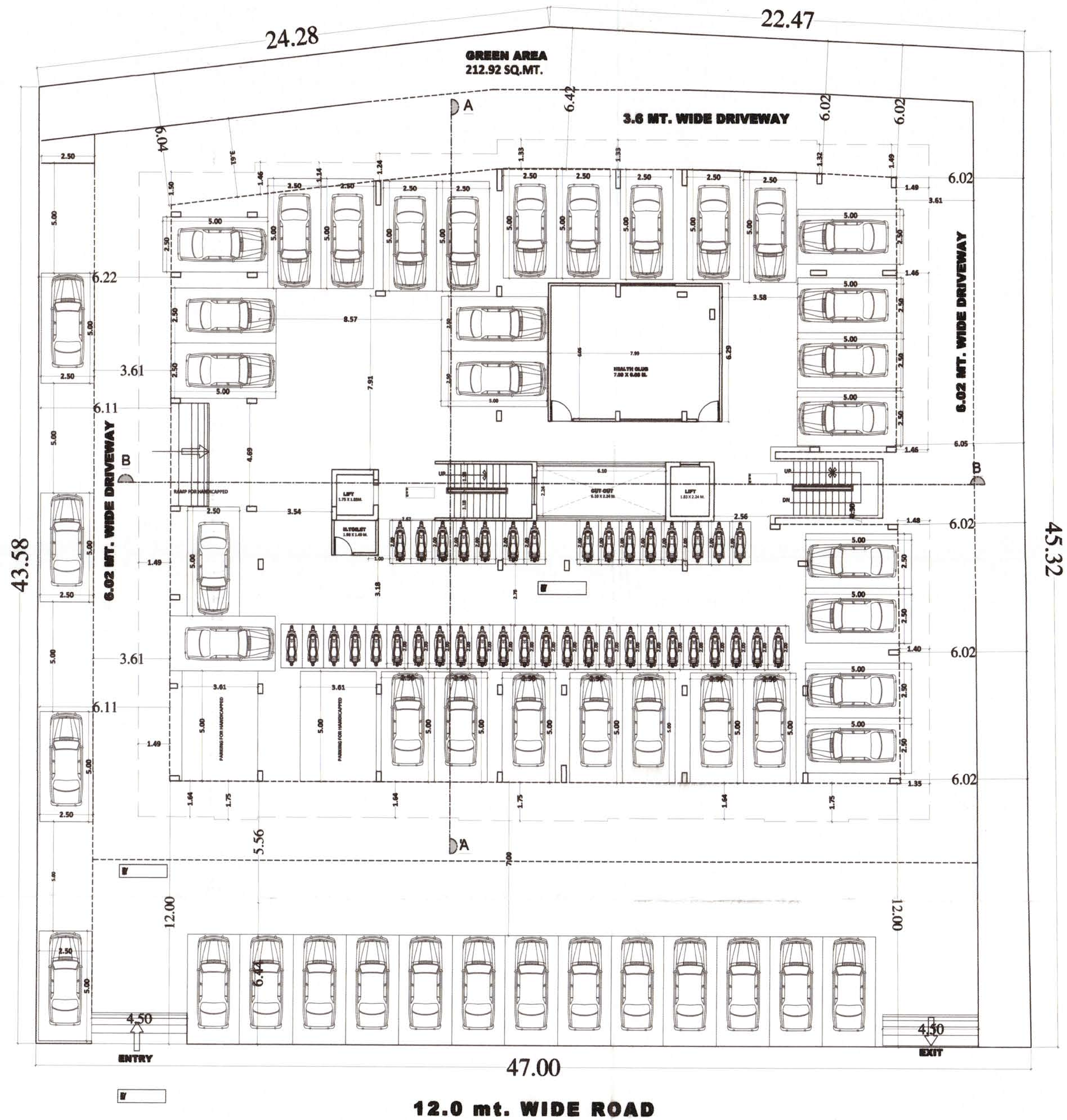

PROJECT TITLE

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR M/S. PRADHAN REAL STATE PVT. LTD.
AT KH. NO. 398/5, 398/6 VILL.- MOHANPURA,
TEH.- SANGANER, JAIPUR

DRG TITLE	FLOOR PLANS (STILT- 4TH FLOOR)
SCALE: 1:100	NORTH: N
ARCHITECT: ARCHITECT SURYA PRAKASH CA/2006/37839	APPLICANT: For PRADHAN REAL ESTATE PVT. LTD. Yashveer Shoora DIRECTOR

SHEET NO. 01

जोन स्तरिय समिति की बैठक दिनांक - 3|3|21 में रखा जाकर भवन मानचित्र अनुमोदन किया गया।

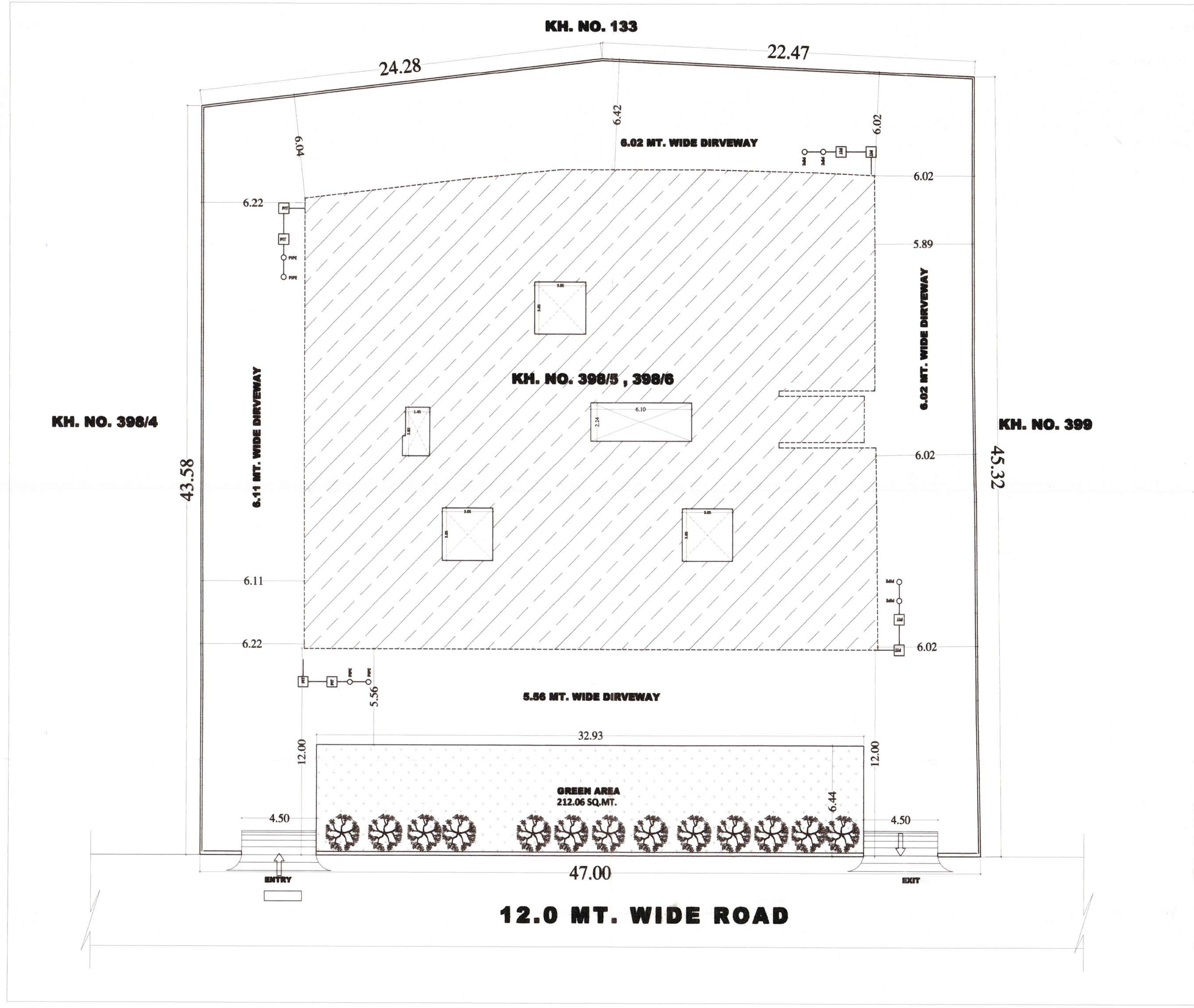

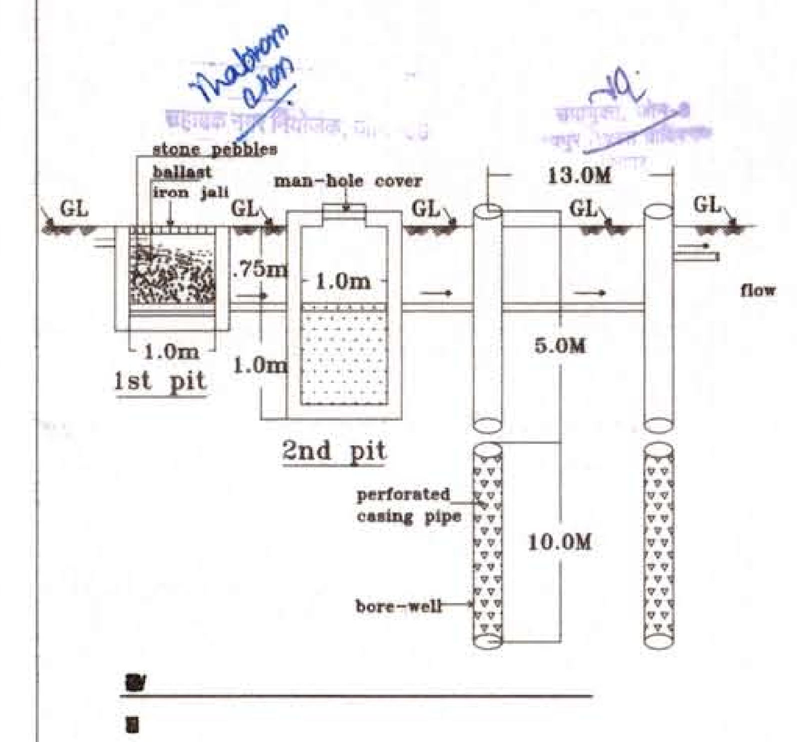

AREA CALCULATION

TOTAL PLOT AREA :- 2120.00 SQ.M.
PERMISSIBLE B.A.R. (@2): 2120.0 X (1.33x1.5) = 4229.40 SQ.M.
MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT : 18.00 M. (18.00M)
PROPOSED B.A.R.: = 5453.28 SQ.M.
PROPOSED MAXIMUM HEIGHT: =[redacted]. 17.90M
GREEN AREA(10% OF PLOT AREA) = 212.06 SQ.MT.
FACILITY AREA(5% of stilt floor area) = 51.70 SQ.MT. (5.49 % OF 941.09)

PARKING REQUIREMENT :

NO. OF ECU = B.A.R./115 = ECU
NO. OF ECU = 5453.28/ 115 = 47.42 ECU
ADD10% VISITOR PARKING =47.42X 10%= 52.16 ECU
TOTAL PARKING REQD.= 52.16 ECU (75% CARS+25%SCOOTER)
TOTAL = 40 CARS 39 SCOOTERS (40+39/3=53.00 ECU)
TOTAL PARKING PROVIDED = 50 CARS 39 SCOOTERS (47+48/3=63.00 ECU)

TOTAL AREA

FLOOR	B.A.R.	GROSS BUILTUP AREA
STILT FLOOR	51.70+3.53(toilet area) SQ.M.	941.09 SQ.M.
GROUND FLOOR	1079.61 SQ.M.	1079.61 SQ.M.
FIRST FLOOR	1079.61 SQ.M.	1079.61 SQ.M.
SECOND FLOOR	1079.61 SQ.M.	1079.61 SQ.M.
THIRD FLOOR	1079.61 SQ.M.	1079.61 SQ.M.
FOURTH FLOOR	1079.61 SQ.M.	1079.61 SQ.M.
TERRACE FLOOR	-	35.43 SQ.M.
TOTAL	5453.28 SQ.M.	6374.57 SQ.M.

PROJECT TITLE

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR M/S. PRADHAN REAL STATE PVT. LTD. AT KH. NO. 398/5, 398/6 VILL.- MOHANPURA, TEH.- SANGANER , JAIPUR

DRG TITLE: **SITE PLAN**

SCALE	NORTH
1:100	N

ARCHITECT	APPLICANT
ARCHITECT SURYA PRAKASH CA/2006/37839	For PRADHAN REAL ESTATE PVT. LTD. Yashveer Shodra DIRECTOR

SHEET NO. 04

जोन-स्तरीय समिति की बैठक 3/3/21 में रखा जाकर भवन मानचित्र अनुमोदन किया गया।

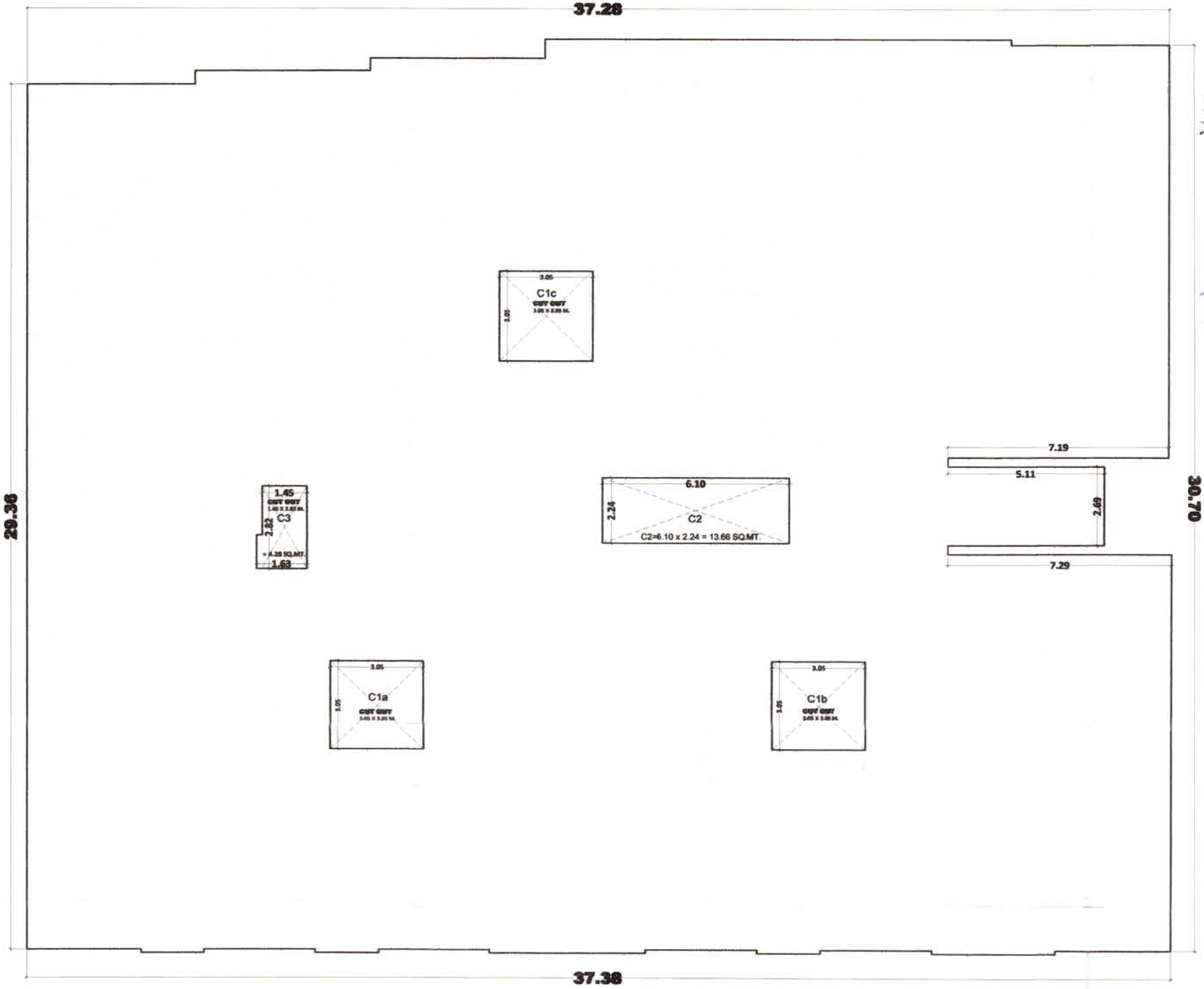

सहायक नगर नियोजक, जोन-08

AREA CALCULATION

S.NO.	GROUND TO FOURTH FLOOR
1.	BLOCK AREA = 1125.46 SQ.MT.
2.	**TOTAL BLOCK AREA=1125.46 SQ.MT.**
3.	**CUT OUT AREA =** C1a-C1c=3.05 x 3.05 x 3=27.91 SQ.MT. C2=6.10 x 2.24 = 13.66 SQ.MT. C3= 4.28 SQ.MT.
4.	**TOTAL CUT OUT AREA= 45.85 Q.MT.**
5.	TOTAL GROSS BUILTUP AREA= 2 - 4 = 1125.46-45.85 **= 1079.61 SQ.MT.**
6.	B.A.R. AREA = 1079.61
7.	TOTAL BUILT UP AREA = 5 X 5(NO. OF FLOORS) = 1079.61 X 5 **= 5398.05 SQ.MT.**
8.	TOTAL B.A.R. AREA= 6 X 5 (NO. OF FLOORS) +STILT = 1079.61 X 5 +(51.70+3.53) **= 5453.28 SQ.MT.**
9.	GROSS BUILT UP AREA = 7 + MUMTY+MACHINE ROOM +STILT = 5398.05 + (20.11+15.32) 35.43+941.09 **= 6374.57SQ.MT.**

PROJECT TITLE

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR M/S. PRADHAN REAL STATE PVT. LTD. AT KH. NO. 398/5, 398/6 VILL.- MOHANPURA, TEH.- SANGANER, JAIPUR

DRG TITLE

AREA CALCULATION

SCALE	NORTH
1:100	N

ARCHITECT	APPLICANT
ARCHITECT SURYA PRAKASH CA/2006/37839	For PRADHAN REAL ESTATE PVT. LTD. DIRECTOR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. 06

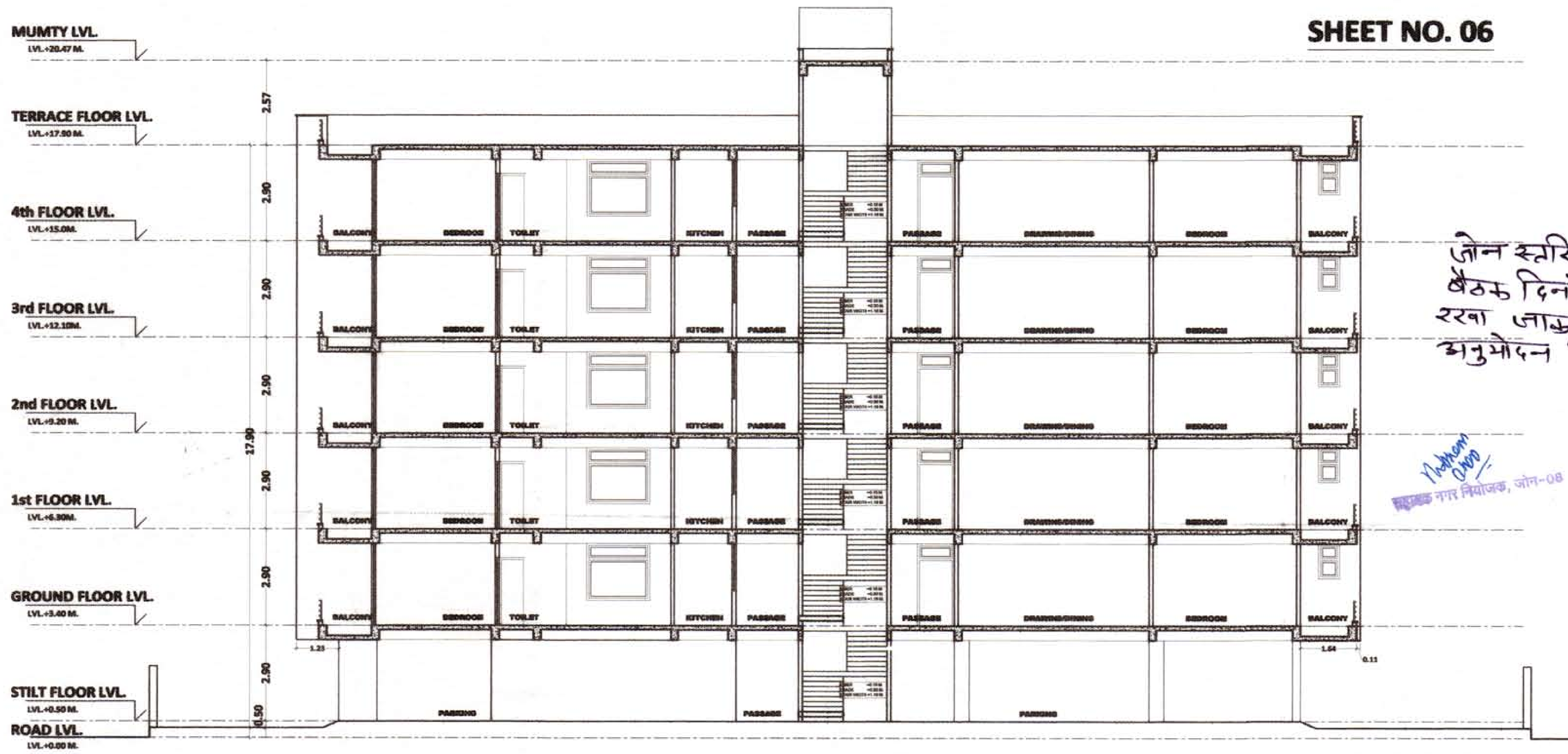

SECTION-AA'

जोन स्तरिय समिति की
बैठक दिनांक 3-3-21 में
रखा जाकर भवन मानचित्र
अनुमोदन किया गया ।

सहायक नगर नियोजक, जोन-08

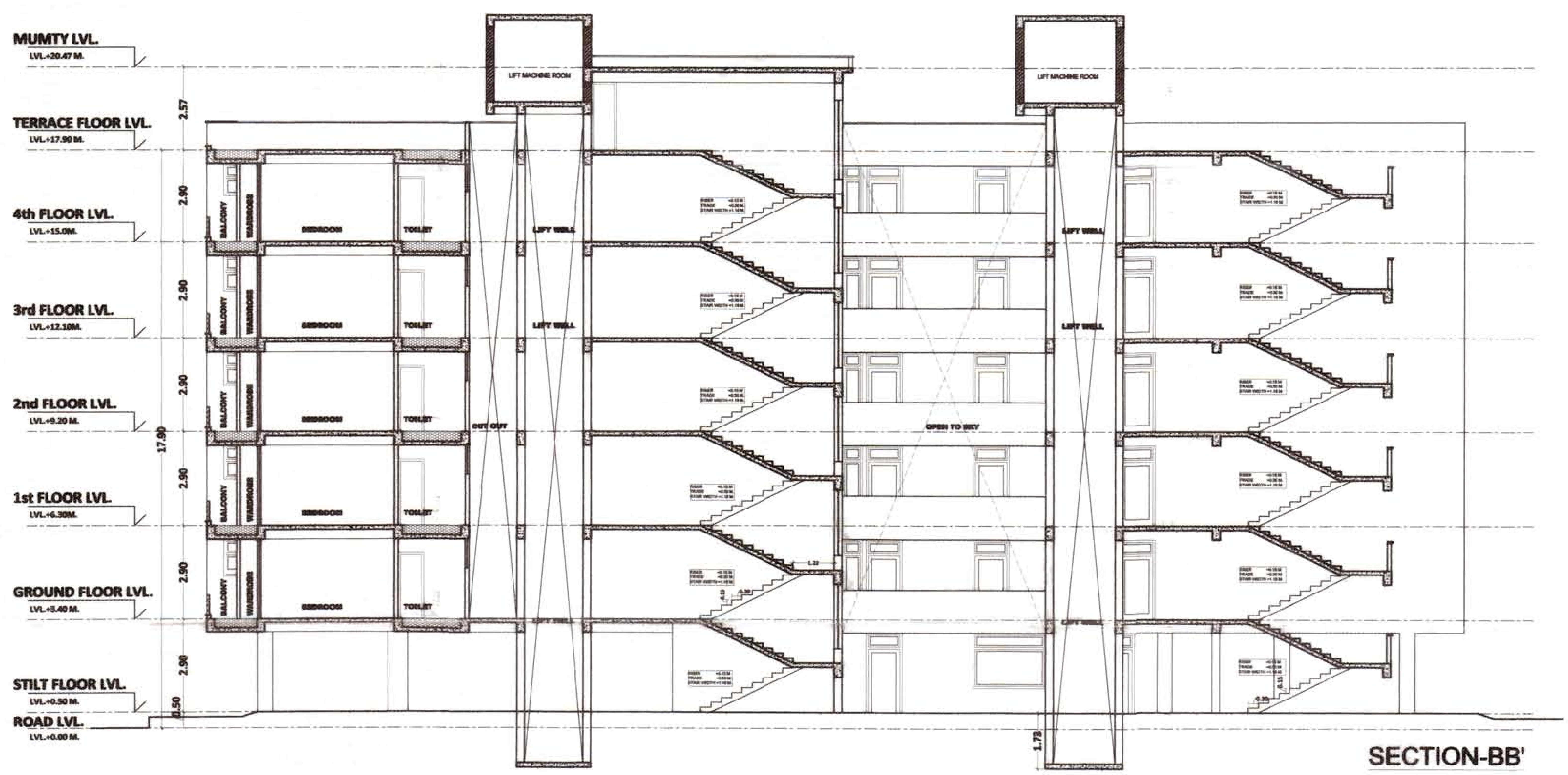

SECTION-BB'

PROJECT TITLE	DRG TITLE	
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR M/S. PRADHAN REAL STATE PVT. LTD. AT KH. NO. 398/5, 398/6 VILL.- MOHANPURA , TEH.- SANGANER , JAIPUR	SECTIONS	
	SCALE 1:100	NORTH N
	ARCHITECT	APPLICANT

ARCHITECT
SURYA PRAKASH
CA/2006/37839

For PRADHAN REAL STATE PVT. LTD.
Yashveer Shora
DIRECTOR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–8/2021/डी– 549 दिनांक : 25/3/2021

मैसर्स प्रधान रियल एस्टेट प्रा.लि.
जरिये निदेशक श्री यशवीर शूरा पुत्र श्री सुमेर सिंह शूरा
निवासी–26–27, जय नगर, इस्कॉन रोड, मानसरोवर
जयपुर।

विषय : निजी खातेदारी आवासीय फ्लेट्स ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 398/5, 398/6 क्षेत्रफल 2120.00 वर्ग मीटर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन करने बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र **दिनांक 09.02.2021** के संदर्भ में प्रस्ताव जोन स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाकर निजी खातेदारी आवासीय फ्लेट्स ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के 398/5, 398/6 क्षेत्रफल 2120.00 वर्ग मीटर पर 17.90 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:–

1. यह भवन अनुज्ञा 22.03.2021 से 3 वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 8 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
11. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा। भवन पर व्यावसायिक गतिविधि के संचालन हेतु पृथक से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।
12. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
13. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें।

14. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
16. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
18. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
19. एकीकृत भवन विनियम 2020 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।" व जनहित में स्वीकृति निरस्त किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
20. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय मं प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।
21. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सडक की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जोन वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
22. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आप–पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
23. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (Display) लगवाया जावे।

संलग्नः– अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति (6 मानचित्र)

भवदीय

उपायुक्त, जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BF 221501

OCT 2021

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN

DECLARATION CUM UNDERTAKING

Affidavit cum declaration of Pradhan Real Estate Private Limited duly authorized by the promoter of the proposed project vides its/his/their authorization date 15.04.2021

I, **Yashveer Shoora** S/o **Shri Sumer Singh Shoora** aged **29** R/O **Village Sukhiya, Gate No.3, Muhana Mandi, Mansarovar, Jaipur-302020 (Raj.)**.

1. That our project **"PRADHAN HOMES"** situated at Khasra No. 398/5, 398/6 Village Mohanpura, Tehsil- Sanganer & District Jaipur, State Rajasthan is a registered project under RERA having registration numeber **RAJ/P/2020/1281**.

For PRADHAN REAL ESTATE PVT. LTD.

Yashveer Shoora

DIRECTOR

ATTESTED

18-11-21

NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.)

1 5 NOV 2021

क्रम संख्या 16695 दिनांक

मुद्रांकों का मूल्यांकन 100

क्रेता का नाम

पिता का नाम

निवास स्थान

मुद्रांक खरीदने का कारण तथा

पक्षों का हस्ताक्षर

टिंकेश ग्रोवर
स्टाम्प विक्रेता
96, रामगली नं. 6,
राजापार्क, जयपुर
स्टाम्प विक्रेता ला. सं. 3/10-

1 5 NOV 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार

1. आधारभूत आवश्यकता सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) 10 प्रतिशत रुपये	10
2. गाय और उसकी संतति के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) / प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु 20 प्रतिशत रुपये	20
कुल योग रुपये	30

हस्ताक्षर स्टाम्प वैण्डर

2. That we have not allotted any FLAT/APARTMENT under our project **"PRADHAN HOMES"** till the date of signing of this declaration and to the extent required under the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 regarding additions and alterations made as per the revised approved building plans/ layout plan of the project; and that it shall not affect/ damage the rights and interests of the allottee(s) of the project. If, however, due to such addition and alteration, any damages or losses are suffered by any allottee(s), any rights and interest of any allottee(s) are affected or any dispute arises, promoter of the project shall be solely responsible and liable to compensate for the same and to resolve the dispute and shall also be liable for all the legal and financial consequences of delay in handing over the possession vis-a-vis what is previously agreed with the allottee(s).

3. That if any contradiction arises in the future M/s Pradhan Real Estate Pvt. Ltd. will be responsible for it.

VERIFICATION

I, **Yashveer Shoora** S/o **Shri Sumer Singh Shoora** aged **29** R/O **Village Sukhiya, Gate No.3, Muhana Mandi, Mansarovar, Jaipur-302020 (Raj.)**, do hereby verify the contents in Para. No. 1 to 3 of my above Affidavit cum declaration are true verified by me at Jaipur on this 15th day of Nov. 2021.

Place :Jaipur

For PRADHAN REAL ESTATE PVT. LTD.

Date :15.11.2021

YASHVEER SHOORA

(Yashveer Shoora)

DIRECTOR

Director

ATTESTED

18-11-21

NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ)

FIFTY RUPEES
SPECIAL ADHESIVE

DECLARATION CUM UNDERTAKING

Affidavit cum declaration of Pradhan Real Estate Private Limited duly authorized by the promoter of the proposed project vides its/his/their authorization date 15.04.2021

I, **Yashveer Shoora** S/o **Shri Sumer Singh Shoora** aged **29** R/O **Village Sukhiya, Gate No.3, Muhana Mandi, Mansarovar, Jaipur-302020 (Raj.)**.

1. That our project **"PRADHAN HOMES"** situated at Khasra No. 398/5, 398/6 Village Mohanpura, Tehsil- Sanganer & District Jaipur, and State Rajasthan is a registered project under RERA having registration number **RAJ/P/2020/1281**.
2. That we have not received any booking amount in our project from the customers under our project **"PRADHAN HOMES"** till the date of signing of this declaration
3. That if any contradiction arises in the future M/s Pradhan Real Estate Pvt. Ltd. will be responsible for it.

VERIFICATION

I, **Yashveer Shoora** S/o **Shri Sumer Singh Shoora** aged **29** R/O **Village Sukhiya, Gate No.3, Muhana Mandi, Mansarovar, Jaipur-302020 (Raj.)**, do hereby verify the contents in Para. No. 1 to 3 of my above Affidavit cum declaration are true verified by me at Jaipur on this 12th day of Dec. 2021.

Place: Jaipur

Date: 12.12.2021

For Pradhan Real Estate Pvt. Ltd.

(Yashveer Shoora)

YASHVEER SHOORA

Director

Director

क्रम संख्या : 8424 दिनांक 30 NOV 2021

मुद्रांकों का मूल्यांकन 50/-

क्रेता का नाम प्रधान रिअलस्टेट प्रा. लि.

पिता का नाम जरिये महावीर सुरा

निवास स्थान E-26-27, जय नगर, इस्कॉन रोड, मानसरोवर, जयपुर

मुद्रांक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित

कार्य का मुल्यांकन शपथ पत्र

30 NOV 2021

मीना गान्धी
(स्टाम्प विक्रेता)
111/186, मध्यम मार्ग, अग्रवाल फार्म
मानसरोवर, जयपुर-302020
स्टाम्प विक्रेता ला. संख्या 19/05
Tel. : 9413932550

स्टाम्प खरीदने वाले के हस्ताक्षर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1. आधारभूत आवश्यकता सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) 10% रुपये	5
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख)/प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु 20% रुपये	10
हस्ताक्षर स्टाम्प वैण्डर योग	15